



2026:AHC:35664

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 33773/2025

महेन्द्र सिंह और 6 अन्य

..... प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता

:- दिलीप कुमार शुक्ला, शिव कुमार सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

:- जी.ए.

न्यायालय संख्या - 79

माननीय न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी

1. प्रार्थियों के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत दाखिल किया गया है, जिसमें वाद संख्या 1137/2020 (राज्य बनाम महेन्द्र सिंह एवं अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है। उक्त मुकदमा अपराध संख्या 0091/2019, धारा 498ए, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, थाना टहरौली, जनपद झांसी से उत्पन्न हुआ है। साथ ही, दिनांक 20.10.2019 के आरोप-पत्र तथा दिनांक 12.10.2020 के संज्ञान आदेश, जो उक्त प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, झांसी की न्यायालय में लंबित हैं, को भी निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

3. प्रार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 04.09.2025 को एक आदेश पारित किया गया था, जिसके द्वारा प्रार्थियों को निर्देशित किया गया था कि वे आपसी समझौता-पत्र संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ताकि उसका सत्यापन कराया जा सके। उक्त आदेश के अनुपालन में, संबंधित न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.2025 को समझौते का सत्यापन कर दिया गया। सत्यापित समझौते की प्रति अभिलेख पर उपलब्ध है। विपक्षी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी उक्त समझौते एवं उसके सत्यापन के तथ्य का कोई विरोध नहीं किया है।

4. पक्षकारों के मध्य संपन्न हुए समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किए जाने संबंधी विधि अब पूर्णतः स्थापित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित वादों (1) **बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य: (2003)4 एससीसी 675;** (2) **निखिल मर्चेट बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो: (2008) 9 एससीसी 677;** (3) **मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य: (2008) 16 एससीसी 1;** (4) **जान सिंह बनाम पंजाब राज्य: (2012) 10 एससीसी 303;** (5) **सैफुल्ला और अन्य बनाम उ.प्र. राज्य और अन्य: 2013 (83) एससीसी 278** तथा (6) **पर्वतभाई अहीर उर्फ पर्वतभाई उर्फ भीमसिंहभाई करमुर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य: (2017) 9 एससीसी 641** में यह विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जिन आपराधिक मामलों में पक्षकारों ने आपसी समझौते के माध्यम से अपने विवादों एवं शिकायतों का निस्तारण कर लिया हो, ऐसे मामलों में न्यायालय, परिस्थितियों के अनुसार, आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर सकता है।

5. अभिलेख के अवलोकन तथा विषय-वस्तु से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में, न्यायालय का यह मत है कि वर्तमान प्रकरण ऐसा उपयुक्त मामला है जिसमें इस न्यायालय द्वारा अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए प्रार्थी(यों) की प्रार्थना के अनुसार लंबित कार्यवाही, आरोप-पत्र तथा संज्ञान आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

6. तदनुसार, प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त प्रकरण की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही, आरोप-पत्र तथा संज्ञान आदेश एतद्वारा निरस्त किए जाते हैं।

(न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी)

17 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पी.एस.

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।